

विधान सभा सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(संसदीय अनुभाग)

.....

संख्या:2253/वि०स०/संसदीय/73(सं)/2018

लखनऊ : दिनांक 29 सितम्बर, 2025

.....

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22, सन् 2005) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह नियम उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन)(तृतीय संशोधन) नियम, 2025 कहलायेगा।
(2) यह नियम दिनांक 26 सितम्बर, 2025 की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) नियम, 2007 की धारा 5 में “जो समुचित रसीद के बदले नगद रूप में या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के रूप में होगा” के स्थान पर “जो डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में होगा” पढ़ा जाय।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 2253(2)/वि०स०/संसदीय/73(सं)/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित:-

1. मा० अध्यक्ष, विधान सभा के निजी सचिव को मा० अध्यक्ष के सूचनार्थ,
2. मा० नेता सदन, विधान सभा (मा० मुख्य मंत्री) के निजी सचिव को मा० मुख्य मंत्री के सूचनार्थ,
3. मा० नेता विरोधी दल, विधान सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान निजी सचिव को माननीय नेता विरोधी दल के सूचनार्थ,
4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
5. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,

6. प्रमुख सचिव, विधान सभा के निजी सचिव को प्रमुख सचिव के सूचनार्थ,
7. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग,
8. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्रशासनिक सुधार विभाग,
9. प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
10. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
11. महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश,
13. निदेशक, आकाशवाणी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
14. समाचार सम्पादक, आकाशवाणी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
15. निदेशक, दूरदर्शन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
16. समाचार सम्पादक, दूरदर्शन केन्द्र, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
17. सचिव, विधि मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली-110001
18. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग,
19. मोहम्मद मुशाहिद, विशेष सचिव एवं अपीलीय अधिकारी, विधान सभा सचिवालय,
20. समस्त अनुभाग अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी, विधान सभा सचिवालय,
21. विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।
22. विधान पुस्तकालय, विधान सभा, उत्तर प्रदेश को विधान सभा की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु

अर्चना श्याम,
उप सचिव।